विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी कार्यालय का निष्प्रयोज्य घोषित शासकीय वाहन सं0–यू0पी0 90/1837 महिन्द्रा जीप की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 09.01.2018 को 11.30 बजे पूर्वान्ह कलेक्ट्रेट सभागार, बांदा में नीलामी हेतु गठित समिति द्वारा की जायेगी। वाहन की नीलामी में कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन भाग ले सकता है :–

1. नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अपनी पहचान के सम्बन्ध में अधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. वाहन की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 3000/– जमा करना अनिवार्य होगा तभी बोली में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी।
3. इच्छुक व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह नीलामी में भाग लेने से पूर्व निष्प्रयोज्य घोषित वाहन का कार्यालय जिला विकास अधिकारी, बांदा के यहां भलीभांति निरीक्षण कर लें तथा नीलामी हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की भली भांति जानकारी कर ले।
4. नीलामी में सर्वाधिक बोलीकर्ता को लगायी गयी बोली की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल नीलामी स्थल पर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि बोलीकर्ता नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उसी दिन सायं 5.00 बजे तक जमा नहीं करता तो अर्नेस्ट मनी जब्त करनें के पश्चात् द्वितीय बोलीकर्ता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
5. समिति द्वारा नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकृत करनें तथा नीलामी में लगायी गयी सम्पूर्ण धनराशि जमा करनें व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करनें के उपरान्त ही नीलामी क्रेता को वाहन हस्तगत कराया जायेगा। जिसमें अन्य कर पृथक से देय होगा।
6. नीलामी समिति को बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा, जो सभी बोलीकर्तागणों को मान्य होगा।

जिला विकास अधिकारी,
बांदा

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, बांदा

पत्रांक– 2286 /नाजिर–वाहन नीलामी/2017–18 दिनांक– 22/12/17

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी, बांदा को दस प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशन करानें का कष्ट करें।
2. अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान, जनसंदेश, श्री इण्डिया को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति कम से कम दर पर प्रकाशित करनें का कष्ट करें।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–बांदा को नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु।
4. खण्ड विकास अधिकारी, नरैनी को इस निर्देश के साथ कि नीलामी में स्वयं तथा सम्बन्धित सहायक के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
5. नाजिर कलेक्ट्रेट, बांदा को उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बांदा को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित अध्यक्ष के आदेश दिनांक 21.12.2017 के क्रम में उनकी अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के सदस्य के रूप में नीलामी सम्पन्न करानें एवं समय से कलेक्ट्रेट सभागार, बांदा में उपस्थित होने के सम्बन्ध में।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बांदा को वेबसाइट पर अपलोड करनें हेतु।
8. अपर निदेशक सूचना चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा।
9. सिटी मजिस्ट्रेट, बांदा/नामित अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय, बांदा की सेवा में सादर सूचनार्थ।
10. जिलाधिकारी महोदय, बांदा।
11. आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।

जिला विकास अधिकारी,
बांदा